



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 188-डीएस-अ०प्र०(2अ)/पाकालि/2016

दिनांक: 30 जुलाई 2016

कार्यालय ज्ञाप

लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत दिनांक 01.05.2015 को सम्पन्न चयन में श्री अवधेश कुमार दीक्षित, लेखाकार के विरुद्ध 05-डी अनुभाग की पत्रावली संख्या 7(10)05द/2013 में लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में उन्हें आरोप-पत्र निर्गत होने के कारण उनके चयन के सम्बन्ध में बनाया गया मुहरबन्द लिफाफा, कारपोरेशन के आदेश संख्या 1364-शिजां-05द/पाकालि/2016-7(10)05द/2013 दिनांक 23.07.2016 द्वारा श्री दीक्षित के विरुद्ध उक्त प्रकरण को समाप्त कर दिये जाने के दृष्टिगत दिनांक 30.07.2016 को खोला गया तथा तदनुसार श्री अवधेश कुमार दीक्षित, लेखाकार को उनके आसन कनिष्ठ श्री कृष्ण कुमार नेगी (के-596) की सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति की तिथि 01.07.2015 से सहायक लेखाधिकारी के पद पर नोशनल प्रोन्नति प्रदान करते हुए स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से स्तम्भ संख्या-04 में उल्लिखित कार्यालय में तैनात किया जाता है-

क्र० सं०	नाम/पिता का नाम / गृह जनपद/ सेवानिवृत्ति का दिनांक	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	सहायक लेखाधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पश्चात तैनाती का कार्यालय
1	2	3	4
1.	श्री अवधेश कुमार दीक्षित/ श्री ओम प्रकाश/लखनऊ/ 31.07.2022	लेखाकार, नियोजन स्कन्ध उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ	नियोजन स्कन्ध उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ

2- श्री अवधेश कुमार दीक्षित को नोशनल प्रोन्नति की तिथि तथा उनके द्वारा सहायक लेखाधिकारी के पद पर वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के मध्य का कोई अवशेष देय नहीं होगा। कार्यालय ज्ञाप संख्या 440-काविनी/पाकालि-29/2000 दिनांक 01.06.2000 में निहित प्राविधानानुसार श्री दीक्षित को अगले पद पर प्रोन्नति हेतु अर्हकारी सेवा की गणना उनकी नोशनल प्रोन्नति की तिथि से की जायेगी।

3- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

4- उपर्युक्त अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

प्रबन्ध निदेशक

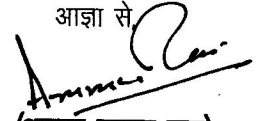
कमश: पृष्ठ 2

संख्या: 188-डीएस-अ0प्र0(2अ)/पाकालि/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मा0 ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रांसमिशन का0लि0।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
- 8- उप सचिव (गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारी/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/नोटिस बोर्ड।

आज्ञा से


(अरुण कुमार राय)
उप सचिव (2अ)